

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
(जनपद—झांसी/जालौन/ललितपुर/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर/महोबा को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 31 /सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2016-17, दिनांक 19.04.2017
विषय:- पशुपालन विभाग, उ0प्र0 में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना) के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-484/सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2016-17, दिनांक 30.09.2016 एवं पत्र संख्या-490/सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2016-17, दिनांक 03.10.2016 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें योजना अन्तर्गत जनपदों के विकास खण्ड स्तरीय पशुचिकित्सालयों पर व्यवस्थित किये जाने वाले सचल पशुचिकित्सा वाहनों के परिचालन हेतु आऊट सोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता फर्मों से निविदा आमंत्रितकर वाहन चालकों की व्यवस्था किये जाने हेतु आवश्यक निर्देशों के साथ मॉडल के रूप में निविदा-प्रपत्र एवं योजना की मार्ग-निर्देशिका आपको उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही शासन के पत्र संख्या-2680/37-2-2016-1(32)/2015टी0सी0-1, दिनांक 14.12.2016 द्वारा आउटसोर्सिंग द्वारा सेवा प्रदाता फर्मों के माध्यम से वाहन चालकों की व्यवस्था अन्तर्गत चयनित फर्म से किये जाने वाले अनुबन्ध के अनुमोदित विलेख की प्रति भी निदेशालय के पत्र संख्या-721/सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2016-17, दिनांक 22.12.2016 के माध्यम से आपको उपलब्ध करायी गई है, जिसके अनुरूप आप द्वारा सम्यक कार्यवाही तत्समय पूर्ण कर ली गई होगी।

जनदीय अधिकारियों द्वारा योजना को वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर बार-बार दूरभाष पर पृच्छायें की जा रही हैं। उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जा रहा है कि:-

- योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गई मार्ग-निर्देशिका के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन किया जाय। उक्त मार्ग-निर्देशिका में प्रदत्त निर्देशों के सापेक्ष किसी भी प्रकार के विचलन की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- योजना की गाईड लाईन के अनुसार इन वाहनों को योजना से इतर अन्य कार्यों में कदापि न लगाया जाय। यदि योजना के वाहनों का आप द्वारा अन्यत्र उपयोग किया जायेगा तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

- मार्ग-निर्देशिका में निर्देशित किया गया है कि, *“योजना के वाहनों का परिचालन रूट निर्धारित कर किया जायेगा। निर्धारित रूट का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।”* उक्त कार्यवाही आप द्वारा पूर्ण कर ली गई होगी। यदि अबतक पूर्ण न की गई हो तो तत्काल रूट चार्ट तैयार कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करन सुनिश्चित करें एवं अबतक न किये जाने के कारण से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- आऊट सोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता फर्मों के चयन में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत पूर्णतया पारदर्शिता का पालन करते हुये सेवा प्रदाता फर्मों का चयन कर वाहन चालकों की व्यवस्था की जाय। इस कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता/शिकायत प्राप्त होने पर आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जायेगा।
- शासन के पत्र संख्या-2680/37-2-2016-1(32)/2015टी0सी0-1, दिनांक 14.12.2016 द्वारा आउटसोर्सिंग द्वारा सेवा प्रदाता फर्मों के माध्यम से वाहन चालकों की व्यवस्था अन्तर्गत चयनित फर्म से किये जाने वाले अनुबन्ध के अनुमोदित विलेख के पृष्ठ-2 पर शीर्षक-‘अनुबन्ध की अवधि’ में उल्लिखित है कि, *“जनशक्ति(ड्राइवर) को उलब्ध कराने हेतु इस अनुबन्ध पत्र की अवधि की सीमा दिनांक 31 मार्च, 2017 तक है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में विशेष परिस्थिति में प्रथम पक्ष की संस्तुति के आधार पर अधिकतम 03 माह तक बढ़ाई जा सकती है।”* उक्त के सापेक्ष आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि अबतक योजना में आउटसोर्सिंग द्वारा सेवा प्रदाता फर्मों के माध्यम से वाहन चालकों की व्यवस्था, उपरोक्त उलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये न की गई हो तो, तत्काल वित्तीय वर्ष 2016-17 में किये गये अनुबन्ध की शर्तों/प्रतिबन्धों के सापेक्ष सेवा प्रदाता फर्म से 03-माह तक वाहन चालकों की व्यवस्था किये जाने की सहमति लेकर वाहन चालकों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त 03-माह के भीतर निविदा आमंत्रितकर वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु आउटसोर्सिंग द्वारा सेवा प्रदाता फर्मों का चयन कर वाहन चालकों की व्यवस्था करना भी सुनिश्चित करें।
- योजना के वाहनों के परिचालन अवधि में पशुचिकित्सा एवं पशुप्रजनन तथा अन्य कार्यों के निष्पादन में उपयोगार्थ आवश्यक उपकरण, औषधियां, रसायन, लाजिस्टिक, तरल नत्रजन एवं स्ट्राज आदि प्रचुर/पर्याप्त मात्रा में उनमें रखा जाय।
- योजनान्तर्गत शासन द्वारा वाहन चालकों के पारिश्रमिक एवं वाहन परिचालन हेतु पी0ओ0एल0 आदि के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप आपको धनराशि आबंटित कर दी जायेगी।

- योजना की मार्ग-निर्देशिका में योजनान्तर्गत निष्पादित कार्यक्रमों की पाक्षिक समीक्षा करते हुये प्रगति मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2 को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, जो अब तक आपकी उदासीनता के कारण लम्बित है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में बहुउद्देशीय संचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना) -योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-109/2016/1615/सैतीस-2-2016-1(32)/2015, दिनांक 04.11.2016 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि ₹0 70000.00 हजार के अन्तर्गत, वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के आबंटन आदेश संख्या-303/बजट/29(5)/अनु०-15/15/2016-17, दिनांक 28.11.2016 द्वारा प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ-साथ आपके अधीनस्थ जनपद को भी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मानक मदों में आबंटित धनराशि के व्यय हेतु निदेशालय के पत्र संख्या-669/सा०-एक/एक्स-84(120)/बहु०स०प०चि०से०/2016-17, दिनांक 05.12.2016 के माध्यम से दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उक्त दिशा-निर्देशों सापेक्ष मानक मदवार व्यय धनराशि एवं कय सामग्री/स्पेसिफिकेशन, फर्म का नाम, कय की प्रक्रिया(निविदा/कोटेशन) आदि का संकलित विवरण दो सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त समयान्तर्गत वांछित विवरण प्राप्त न हुआ तो यह मान लिया जायेगा कि आपने कार्यवाही नियमानुसार नहीं की है तथा शासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आपका नाम प्रस्तावित कर दिया जायेगा।
- साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना में आउटसोर्सिंग द्वारा सेवा प्रदाता फर्मों के माध्यम से वाहन चालकों की व्यवस्था हेतु आमंत्रित निविदा के सापेक्ष चयनित/सफल सर्विस प्रदाता फर्म की तकनीकी एवं वित्तीय बिड की छायाप्रति निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
- योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये योजना के वाहनों को तैयार रूटचार्ट में निरन्तर परिचालित करते हुये पशुपालकों को योजना से अपेक्षित लाभ प्रत्येक दशा पहुँचाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
- योजना में निष्पादित कार्यक्रमों का निरन्तर अनुश्रवण/समीक्षा करते हुये मासिक प्रगति सम्यक स्तर से निदेशालय का उपलब्ध करायी जाय।
- उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये वांछित सूचना/प्रगति समयबद्धरूप से उपलब्ध करायी जाय।

अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये योजना के क्रियान्वयन अन्तर्गत वांछित सूचना/प्रगति समयबद्धरूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की

स्थिति में किसी विषम परिस्थिति के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,
(डा० चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक /सा०-एक/एक्स-84(120)/बहु०स०प०चि०से०/2016-17, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने मण्डलीय जनपदों में योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं समीक्षा योजना की मार्ग-निर्देशिका के अनुरूप सतत अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। सर्विस प्रदाता फर्मों के चयन एवं वाहन चालकों की व्यवस्था तथा योजना से पशुपालकों को अपेक्षित लाभ पहुँचाने में पारदर्शिता का अपने स्तर से भी अनुश्रवण करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिकायत होने पर अपेक्षित कार्यवाही अपने स्तर से करते हुये तत्काल प्रकरण निदेशालय के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करें। योजना की मार्ग-निर्देशिका में योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था अन्तर्गत निर्देशित किया गया है कि, "अपर निदेशक, ग्रेड-2, मण्डल के मण्डलीय जनपदों में कार्यक्रम की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करेंगे एवं मासिक प्रगति निदेशालय को उपलब्ध करायेगा।", किन्तु खेद का विषय है कि अबतक आपके स्तर से उक्त प्रगति प्रतीक्षित है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत निष्पादित कार्यक्रम की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करते हुये अद्यतन मासिक प्रगति एक सप्ताह के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। साथ ही अबतक समीक्षा न किये जाने का कारण भी उल्लिखित करें।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ।

(डा० चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।